भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी. / यू.सी.पी. / 01 / 146 / 2018 / एफ.सी. / 2579 दिनांक 31 / 03 / 2021

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद– उत्तरकाशी के अन्तर्गत सूपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मेगावाट क्षमता की जखोल–सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में। (FP/UK/HYD/22889/2016)

सन्दर्भः–कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 2391/FP/UK/ HYD/22889/2016 दिनांक 18-03-2021

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 27 / 11 / 2020 का जवाब राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रेषित उत्तर में पाया गया है कि बिन्दु क्र01 तथा 03 के जवाब में संशोधित सूचना पार्ट II के additional information document मे अपलोड नहीं पाई गई है। अतः राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं की अनुपालना आख्या पार्ट II के additional information document मे अपलोड करना सुनिश्चित करें:–

1. इस कार्यालय के पत्र दिनांक 27 / 11 / 2020 का बिन्दु क्र0 01 :– वन मंडल अधिकारी द्वारा यह स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया गया है कि सी0ए0 क्षेत्र का निरीक्षण उनके द्वारा स्वयं किया गया है अथवा नहीं तथा प्रमाण पत्र में निरीक्षण दिनाँक भी अंकित नहीं की गई है। वन मंडल अधिकारी स्वयं निरीक्षण कर प्रत्येक सी0ए0 patch में उपस्थित वृक्षों की प्रजातिवार एवं गोलाईवार सूची प्रस्तुत करें।
2. इस कार्यालय के पत्र दिनांक 27 / 11 / 2020 का बिन्दु क्र0 03 :– प्रस्ताव पर NBWL में Approval लिया गया है परन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा पार्ट– II के Para 8 (ii) में 'No' उल्लेखित है। अतः राज्य सरकार इस पर परिस्थिति स्पष्ट करे कि इस प्रस्ताव का कितना क्षेत्र Wildlife Sanctuary के अन्दर आता है, तदनुसार Para 8 (ii) में सही जानकारी भरें तथा संशोधित NPV calculation sheet भी प्रस्तुत करें।

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)